

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -98, 99, 100 व 101/2015/राजसमन्द

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,
सिन्देसरखुर्द, लीज डीड, 7/95।

.....प्रार्थी.

बनाम्

उप-पंजीयक, रेलमगरा, जिला-राजसमन्द।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अखिलेश राजपुरोहित,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अधिवक्ता।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक:-13.04.2015

उक्त सभी निगरानियां प्रार्थी मैसर्स की ओर से उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर(मुद्रांक) उदयपुर, पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (जिसे आगे 'वित्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर, तालिकानुसार कायम की गयी भूमि कर की राशि पर स्थगत हेतु निवेदन किया गया है।

इन सभी निगरानियों में प्रार्थी एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

उक्त निगरानियों में प्रार्थी द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), उदयपुर (जिसे आगे "कलेक्टर" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक, प्रार्थी को आवंटित कुल भूमि, उप पंजीयक का आदेश दिनांक एवं निर्धारित भूमि-कर का विवरण निम्न तालिका में अंकित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा स्थगन चाहा गया है।

(राशि रु.में)

| निगरानी संख्या | उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) का निर्धारण वर्ष एवं आदेश दिनांक | प्रार्थी को आवंटित भूमि (हेक्टर में) | उप पंजीयक का आदेश दिनांक | भूमि-कर जिस पर स्थगन चाहा गया |
|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98/15 | 2007-08/30.12.2014 | 199.84 | 18.3.2013 | 33,94,500 |
| 99/15 | 2008-09/30.12.2014 | 199.84 | 18.03.2014 | 67,89,000 |
| 100/15 | 2009-10/30.12.2014 | 199.84 | 18.3.2013 | 90,48,800 |
| 101/15 | 2010-11/30.12.2014 | 199.84 | 18.3.2013 | 1,13,15,000 |

लगातार.....2

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को खनन विभाग से जिप्सम माईनिंग हेतु उक्त तालिका के कॉलम संख्या-3 के अनुसार भूमि का आवंटन किया गया है। उप पंजीयक, (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा प्रार्थी के वर्ष आलोच्य अवधियों के लिये वित्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि-कर का निर्धारण करने सम्बन्धी आदेश तालिका के कॉलम संख्या-3 में अंकित दिनांक को पारित करते हुए उक्त तालिका के कॉलम संख्या-4 के अनुसार मांग राशि कायम की गई। प्रार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपीलों में कलक्टर द्वारा उक्त तालिका के कॉलम संख्या-2 में अंकित निर्धारण वर्ष व दिनांक को पृथक-पृथक पारित आदेशों के जरिये प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित कुल भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत भूमि-कर देय होना मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित भूमि-कर की पुष्टि की जाकर प्रार्थी की अपीलें अस्वीकार की गई हैं। जिनसे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत कर, कायम की गयी भूमि कर की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि कर बोर्ड में प्रार्थी द्वारा दायर की गयी निगरानियों को अपील के रूप में प्रकरण दर्ज कर, सुनवायी हेतु नियत किया गया है, जबकि भूमि कर नियम, 2006 के नियम 51 के अनुसार उक्त को निगरानियों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः उक्त उठायी प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान अभिभाषक ने द्वितीय प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुये कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने द्वारा बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये भूमि का निर्धारण किया जा गलत है। समस्त लीज भूमि कर निर्धारित किया जो गलत है। प्रार्थी जिस भूमि पर काबिज है उस भूमि का भूमिकर देने को तैयार है। अन्य खाता धारक जिनकी भूमि है, रेवेन्यु रिकोर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। उस पर भूमि कर निर्धारित कर दिया जो गलत है। जब प्रार्थी उस भूमि की मालिक ही नहीं है तो उस पर भूमि कर लिया जाना उचित नहीं है। अतः बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये ही भूमिकर कर निर्धारण किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं। अतः उक्त आधार पर पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है जिसकी पुष्टि करने में विद्वान कलक्टर द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। फलस्वरूप, उक्त प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही प्रथम दृष्ट्या ही प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने का कथन कर, कायम की गयी भूमि कर की मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि द्वारा कथन किया गया कि वित्त





लगातार.....3

अधिनियम के अन्तर्गत धारित एवं उपयोग में ली गई भूमि (Land held & used) पर भूमि कर देयता का प्रावधान किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा जिप्सम माईनिंग हेतु आवंटित/लीजशुदा जिस भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, उस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भूमि-कर का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(14)वित्त/कर/2006/161 दिनांक 31.3.2006 यथा संशोधित दिनांक 9.3.2007 एवं 19.6.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिप्सम युक्त धारित भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा रु2/- प्रति वर्गमीटर में से जो भी कम हो, भूमि-कर संदेय होगा। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी की खनन पट्टे पर ली गई भूमि में से वास्तविक रूप से खनन के लिये उपयोग में ली जा रही भूमि बाबत कोई जांच किये बिना प्रश्नगत सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का भूमि-कर के रूप में आरोपण किये जाने में तथा कलक्टर द्वारा उक्तानुसार आरोपित भूमि कर की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शासन सचिव, वित्त (राजस्व) की अध्यक्षता में भूमि कर निर्धारण के सम्बन्ध में हुई बैठक दिनांक 21.01.2010 की कार्यवाही विवरण एवं वित्त (कर) विभाग के पत्र संख्या पं.15(1)वित्त/कर/2009 दिनांक 13.10.2010 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि खनन पट्टे पर आवंटित भूमि में स्थित निजी कृषि भूमि पर प्रार्थी द्वारा संबंधित कृषकों की सहमति से ही माईनिंग गतिविधि की जा सकती है। इसलिए खनन लीज में सम्मिलित ऐसी निजी खातेदारी भूमि का सम्बन्धित कृषकों की सहमति/एग्रीमेंट से खनन प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने की मौके की स्थिति की जांच के पश्चात ही भूमि कर का निर्धारण किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थी को खनन हेतु आवंटित भूमि में से वित्त अधिनियम की धारा 38(सी) व धारा 39 में exclude की गई भूमियों यथा कृषि भूमि/आवासीय भूमि/शहरी भूमि के अतिरिक्त भूमि पर ही भूमि के बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत राशि अथवा रु. 2/- प्रति वर्गमीटर में से जो भी कम हो, की दर से भूमिकर की देयता बनती है।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी का भूमि कर निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी को उपस्थित होने एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। प्रार्थी द्वारा सहयोग नहीं किया गया। गुणावगुण पर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी को समस्त भूमि जिप्सम खनन उपयोग हेतु आवंटित की गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी को आवंटित खनन पट्टे की समस्त भूमि के बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत राशि के बराबर भूमि-कर का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)वित्त/कर/2009 दिनांक 13.10.2010 बैठक दिनांक 21.1.2010





लगातार.....4

की कार्यवाही विवरण क्रमांक प.15(1)वित्त/कर/2010 दिनांक 27.1.2010 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिये आवंटित भूमि में से केवल अधिनियम की धारा 38(सी) एवं 39 में exclude की गई भूमियों के अतिरिक्त समस्त भूमि पर भूमि कर देय होगा। अपने उक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरणों के संबंध में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। विद्वान अभिभाषक का कथन कि हस्तगत प्रकरणों को कर बोर्ड में निगरानियों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था, स्वीकार योग्य नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना दिनांक 16.05.2012 के भूमि कर अधिनियम, 2006 की धारा 51 की उप-धारा (1) में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है:-

Section 17. Amendment of Sec. 51, Rajasthan Act No. 4 of 2006.- For the existing Sec. 51 of the principal Act, the following shall be substituted, namely-

“51.Appeal to Rajasthan Tax Board.-(1) An appeal shall lie to the Rajasthan Tax Board constituted under sec. 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) against an order passed under Sec. 48 or 50 within a period of sixty days from the date of the order sought to be appealed against.

अतः राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन दिनांक 16.05.2012 के आलोक में, हस्तगत प्रकरण कर बोर्ड में उचित रूप से “अपील” के रूप में दर्ज किये गये हैं।

अतः उठायी गयी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

जहां तक रोक आवेदन पत्रों पर निर्णय किये जाने का प्रश्न है, पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी के प्रकरण में ही कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा रोक आवेदन निर्णय को प्रोद्धारित किया गया है, परन्तु भूमि के उद्ग्रहण के संबंध में अपवर्जित भूमि के ऐसे वर्गों पर जो हस्तगत प्रकरणा में विवादित है, कर दायित्व के होना अथवा नहीं होने का बिन्दु विवादित है। इसी क्रम में प्रार्थी को जिप्सम खनन के लिये लीज पर आवंटित भूमि में निजी खातेदारों की कृषि भूमि एवं आबादी भूमि का क्षेत्र होने एवं इस भूमि पर कोई माईनिंग गतिविधि नहीं होने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खनन पट्टे की सम्पूर्ण भूमि पर भूमि कर का निर्धारण उचित रूप से मौका निरीक्षण व सुनवायी का उचित अवसर प्रदान किये जाने का महत्पूर्ण, विधिक व तथ्यात्मक बिन्दु अन्तर्वर्लित है।







लगातार.....5

फलस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाकर, अपीलें ग्रहण योग्य स्वीकार की जाती हैं। हस्तगत अपीलों में विवादास्पद कायम मांग राशि की 30 प्रतिशत राशि (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार) प्रार्थी द्वारा जमा कराये जा चुके हैं तथा निगरानी म्याद है।

कलक्टर (मुद्रांक) की पत्रावलियां शीघ्रतलब हो। पक्षकारों को नोटिस जारी हो।
मिसल दिनांक 07.07.2015 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो।


13-4-2015
(मदन लाल)
सदस्य


(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष